

प्रस्ताव की राज्य कम सं०
(प्रति की तारीख के साथ नींदल अधिकारी द्वारा भरा जाना है)

भाग-11

(सम्बन्धित उप वन संस्थक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम सं०

क्र	परियोजना / स्थान का स्थान	
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	राज्य प्रदेश
(ii)	जिला	मुजफ्फरपुर
(iii)	वन प्रभाग	मुजफ्फरपुर
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे०)।	आरक्षित वन भूमि -7.0549 व संरक्षित वन भूमि 4.2823 हे० (कुल 11.317280)
(v)	वन की वर्तमान स्थिति	आरक्षित / संरक्षित
(vi)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और वंशिक क्षेत्रों वार कुलों की परिणता (संलग्न की जाय)। शिपार्ड / जलवायु परिवर्तन/संरक्षण को संबंध में ए०००००००००-4 मीटर भी संलग्न किये जाय।	संलग्न है
(vii)	हरियाली का घनत्व	0.3 - 0.7 के मध्य
(viii)	यू-वाग के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	यू-वाग यू-संरक्षण की दृष्टि से संवेदनशील नहीं है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित सील की वन सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग व रेल मार्ग के किनारे की भूमि से अनुमानित दूरी संरक्षित घीमित है। फलेडपुर वन ब्लॉक आरक्षित वन घोषित है। प्रस्तावित वनेतर प्रयोग की भूमि संरक्षित व आरक्षित वन क्षेत्र में लगी है।
(x)	क्या कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव, अभयारण्य, जीवमंडल आदि का भाग है (यदि हाँ तो क्षेत्र का और तथा मुख्य वन जीव वर्गों की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाय)	नहीं, सामान्यतः यूकेड, सिस्स, शीशम, प्रोसोपिस, जर्बुन, खुल आम आदि के वृक्ष राइक के किनारे रोपित किये गये हैं।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जाल की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियाँ पायी जाती हैं यदि हाँ / तो संलग्न की जाय।	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातात्विक / पारम्परिक स्थल / स्था प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो संलग्न की जाय।	नहीं
8	उपमोक्त एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 से प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जाये गये विकल्प के द्वारा के साथ नदवार संरक्षित क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के अन्तर्गत में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिनियम पर की गई कार्यवाही संकेत कार्य का और है क्या अन्तर्गत सभी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का और	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अनुमोदित वनेतर/आवर्तित वन क्षेत्र अक्स-वास के वन से हराकी दूरी भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	प्रस्तावित किया गया है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अधिनियमित वनेतर/ अवकमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी के साथ अनुसूची लागूता आदि।	संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिसंचय।	
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अधिनियमित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धीय दृष्टिकोण से सशान प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबन्धित वन वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया)	संलग्न है।
11	जिला वन सहायक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विज्ञापित तथ्यगत कालम 1 (xi, xii) 1 और 2 में पूरे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है-
12	विभाग/जिला पोस्टल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल	2872111 हे०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	636.878 हे०
(iii)	माननी की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र	4 नामले, 50.2822 हे०
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	रिक्त
	(क) वन क्षेत्र के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	रिक्त
	(ख) वनेतर भूमि	रिक्त
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति	
	(क) वन भूमि पर	रिक्त
	(ख) वनेतर भूमि पर	2522 5853 हे० प्रतिपूरक वनीकरण कराया गया।
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उक्त वन सहायक की विशेष विस्तारित	विकास कार्य हेतु आवश्यक न्यूनतम 11.317280 आरक्षित/ संरक्षित वनभूमि का प्रयोग वनेतर कार्य, गुरुवाचल ऐकेशवे के निर्माण हेतु संस्तुति की जाती है जो न्यूनतम है।

दिनांक: 23/10/2017
स्थान: मुजफ्फरपुर

हस्ताक्षर
सरकारी मोहर

प्रभागीय निदेशक
सा. वा. वन प्रभाग
मुजफ्फरपुर